राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर.

क्रमांक : राम / भूअ / एलआरसी / प–84 / 05 / 11176 दिनांक : 30-9-05

जिला कलक्टर (समस्त),
राजस्थान

विषय :– अपना खाता केन्द्र से कम्प्यूटराईज्ड जमाबन्दी की नकल दिये जाने बाबत ।

महोदय,

विषयान्तर्गत मण्डल के यह ध्यान में लाया गया है कि तहसील में उपलब्ध कम्प्यूटराइज्ड जमाबन्दी से खाते की नकल जारी करने हेतु वर्तमान प्रक्रिया अनावश्यक रूप से जटिल है । प्रार्थी को प्रार्थना पत्र देना होता है, उस पर नकल देने के आदेश होते है, नकल बनती है फिर उस पर रेवेन्यू टिकिट्स एवं मोहर आदि लगती है एवं सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होते है । कई दफा अधिकारी उपलब्ध नहीं होते है तो अनावश्यक रूप से देरी भी होती है । जब कि वही नकल पटवारी के स्तर से बिना किसी प्रक्रिया के जारी हो जाती है । अमूमन हल्का पटवारी नकल हाथ से बनाकर देता है जिसमें कि गलती होने की सम्भावना रहती है जब कि कम्प्यूटर द्वारा जारी होने वाली नकल में गलती की सम्भावना नहीं होती है फिर भी इसकी प्रक्रिया को अनावश्यक रूप जटिल बना रखा है ।

अतः प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु निम्न निर्देश पारित किये जाते हैं :–

1. नकल लेने हेतु प्रार्थी को सीधे ही अपना खाता केन्द्र (एलआरसी कम्प्यूटर) में जाना होगा एवं अपना खाता केन्द्र के पटवारी (रिसोर्स परसन) को लिखित या मौखिक रूप से नकल हेतु प्रार्थना करनी होगी ।
2. अपना खाता केन्द्र पटवारी तुरन्त नकल बनाकर उस पर स्वयं सत्यापन की मोहर लगाकर नकल हाथो–हाथ प्रदान कर देगा ।
3. नकल पर देय फीस रेवेन्यू टिकिट्स के रूप में प्रार्थी स्वयं लेकर आयेगा जिसे कि नकल पर चिपकाकर, उन्हें केन्सिल करके नकल दी जायेगी ।
4. सत्यापन हेतु जो मोहर लगाई जायेगी, उसका प्रारूप निम्न प्रकार से होगा :–

"अपना खाता केन्द्र से जारी एवं सत्यापित प्रति"

हस्ताक्षर एल0आर0सी0पटवारी
तहसील ————————

5. कम्प्यूटर से जो नकल जारी हो उस पर जारी होने की दिनांक कम्प्यूटर से ही प्रिण्ट हो जानी चाहिये ।

लगातार—— 2

एल0आर0सी0 पटवारी की अनुपस्थिति में तहसीलदार/ऑफिस कानूनगो किसी अन्य एल0आर0सी0 हेतु अधिकृत कर्मचारी के द्वारा भी नकल जारी करवा सकते है जिस पर सत्यापन के हस्ताक्षर ऑफिस कानूनगो द्वारा किये जायेंगे ।

कम्प्यूटर से नकल जारी करने की फीस रू0 10/— प्रति पेज होगी, न कि खसरा एवं खातों की संख्या के अनुसार । प्रतिदिन जारी की गई नकलों की संख्या कम्प्यूटर में अंकित रहेगी ।

जिला मुख्यालय पर उपलब्ध एल0आर0सी0 कम्प्यूटर से यदि नकल जारी होती है तो उसकी प्रक्रिया भी उपरोक्तानुसार ही रहेगी । कृपया इस पत्र की प्रति समस्त अधीनस्थ कार्यालय को प्रेषित की जावें ।

भवदीय

निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

क्रमांक : राम/सम/ दिनांक :

प्रतिलिपि :—

1. वरिष्ठ तकनिकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राजस्थान राज्य ईकाई, कमरा नम्बर—318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर
2. ए0 सी0 पी0, राजस्व मण्डल राजस्थान को भेज कर लेख है कि कृपया इसे समस्त सम्बन्धित को ई—मेल द्वारा प्रेषित करें ।

उपनिबन्धक (भू अभिलेख)
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर